

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1386

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना

1386 डा. अशोक कुमार मित्तल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में पंजाब राज्य में स्थापित फास्ट ट्रैक न्यायालयों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों के समुचित संचालन के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही है और इस संबंध में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य को उक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरन रीजीजू)

(क) : उन त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) के ब्यौरे, जो पिछले पांच वर्षों में पंजाब राज्य में स्थापित किए गए हैं, उपाबंध पर दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) : त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना और निधियों का आवंटन उन राज्यों सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित हैं, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने जघन्य प्रकृति, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, ऐसे व्यक्ति जो आवधिक बीमारी आदि से संक्रमित हैं, के विनिर्दिष्ट मामलों और पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों के विचारण के लिए 2015-2020 के दौरान कुल 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने की सिफारिश की हैं । इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध वृद्धित वित्तीय अंतरालों का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है । इसके अतिरिक्त, संघ सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2015-16 से त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने के लिए निधियों को आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है ।

उपाबंध

राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1386 में दिया गया उपाबंध
पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की प्रास्थिति
(मई, 2022 तक)

31.12.2018 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय	31.12.2019 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय	31.12.2020 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय	31.12.2021 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय	31.12.2022 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय
0	0	07	07	07